



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 2015/माघ 1, 1936

No. 144]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 2015/ MAGHA 1, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2015

(आय-कर)

का.आ. 210 (अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ग की उपधारा (2)के खण्ड (viii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों हेतु “सुकन्या समृद्धि खाते” को विनिर्दिष्ट करती है।

2. यह अधिसूचना इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 9/2015, फा. सं. 178/3/2015-आ.क. नि-1]
दीपशिखा शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2015

(Income-tax)

S.O. 210(E).— In exercise of the powers conferred by clause (viii) of sub-section (2) of section 80C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the ‘Sukanya Samridhi Account’ for the purposes of the said clause.

2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 9/2015, F. No. 178/3/2015-ITA. I]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director